



समक्ष न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर जबलपुर म.प्र

निः - ५०२ - I - १६

पुनरीक्षण. प्र. क. ...../16

### आवेदकगण

सह व्यक्ति - ३८५  
नाम - ३८५  
पुनरीक्षण  
दिनांक - ०१/१२/१६

1. काशी प्रसाद पटेल पिता स्व. श्री अच्छेलाल पटेल उम्र लगभग 73 वर्ष निवासी ग्राम मानेगांव रांझी जबलपुर म.प्र.

2. श्रीमति कुसुमलता पटेल पत्नि श्री सूरज प्रसाद पटेल पिता स्व. श्री अच्छेलाल पटेल, उम्र लगभग 65 वर्ष निवासी म.नं. 1 गोपाल बिहार गोपालबाग जबलपुर म.प्र.

### विरुद्ध

#### अनावेदकगण

Declarant  
०१/१२/१६

1. सरदार कृपाल सिंह सच्चर उम्र लगभग 86वर्ष आत्मज श्री सरदार औंकार सिंह सच्चर

2. सरदार जगप्रीत सिंह सच्चर उम्र लगभग 47 वर्ष पिता श्री कृपाल सिंह दोनों 1 एवं 2 निवासी 400 डी राममंदिर गुप्तेश्वर जबलपुर तहसील व जिला जबलपुर म.प्र.

3. कर्जलंजीत सिंह डंग उम्र लगभग 38 वर्ष पिता स्व. श्री हरपूरन सिंह डंग

4. चरनप्रीत सिंह उम्र लगभग 35 वर्ष पिता स्व. श्री हरपूरन सिंह डंग



## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-442-एक/16

जिला - जबलपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
२५/०२/२०१९	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री डी.के. शर्मा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 03.05.2019 को कलेक्टर, जिला जबलपुर के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p> <p><u>M</u>  <u>कलेक्टर जिला जबलपुर</u></p>	